डॉ. राम निवास मानव बनाम

सी.आर.एम. पोस्ट ग्रेजुएट जाट कॉलेज हिसार और अन्य (एस.एस. निज्जर)

समक्ष एच.एस. निज्जर और किरण आनंद लाल, जेजे

डॉ राम निवास मानव - याचिकाकर्ता

बनाम

सी.आर.एम. पोस्ट ग्रेजुएट जाट कॉलेज, हिसार और अन्य – उत्तरदाता

2004 का सी.डब्ल्यू.पी. नंबर 4390

12 मार्च, 2004

भारत का संविधान, 1950 - कला 14, 21 और 226 - एक व्याख्याता के खिलाफ एक छात्र द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोप - जांच अधिकारी ने लड़की के बयान की अवहेलना की और याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोपों को साबित नहीं किया - अनुशासनात्मक प्राधिकरण जांच अधिकारी के निष्कर्षों से अलग है और याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए सेवा से बर्खास्तगी की सजा का प्रस्ताव करता है और याचिकाकर्ता को सीधे आयुक्त को जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश देता है - याचिकाकर्ता के जवाब पर विचार करने के बाद और याचिकाकर्ता और कॉलेज के शासी निकाय दोनों को सुनकर, आयुक्त ने अनुमोदन प्रदान किया - याचिकाकर्ता को दिए गए अपने मामले की पैरवी करने का पूरा मौका - अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में याचिकाकर्ता के साथ कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ - याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने वाले उत्तरदाताओं की कार्रवाई न तो मनमानी है और न ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है - याचिका खारिज किये जाने योग्य।

यह निर्धारित किया गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत गारंटीकृत छात्राओं के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों से निपटने के दौरान न्यायालय को एक विशेष सुरक्षात्मक और माता-पिता का रवैया अपनाना होगा। छात्राओं को शिक्षण संस्थानों में उतनी ही सुरक्षा की आवश्यकता है जितनी कामकाजी महिलाओं को कार्यस्थल पर चाहिए।

(पैरा 11)

इसके अलावा, यह निर्धारित किया गया कि प्रबंधन समिति ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपने तरीके से काम किया था कि जांच कानूनी रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा की जाए। हालांकि, जांच अधिकारी दुखद रूप से कार्यवाही की संवेदनशील प्रकृति को ध्यान में रखने में विफल रहे। उन्होंने अपने निष्कर्षों को अपने स्वयं के दृष्टिकोण पर आधारित किया है कि यौन उत्पीड़न के शिकार को कैसे व्यवहार करना चाहिए। वह उन मार्गदर्शक सिद्धांतों से पूरी तरह अनजान थे जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णयों की एक श्रेणी में निर्धारित किए

गए हैं। जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को अनुमानों और अनुमानों पर आधारित माना गया है। प्रतिवादी नंबर 4 ने प्रबंधन समिति, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दर्ज की गई अस्थायी राय को सही ढंग से स्वीकार किया है। अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, कि न्याय का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, हमने जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों, प्रबंधन समिति द्वारा दर्ज किए गए अस्थायी निष्कर्षों और आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा दर्ज अंतिम निष्कर्षों की जांच की है। हम संतुष्ट हैं कि याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रतिवादियों द्वारा की गई कार्रवाई को मनमाना या प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है।

(पैरा 22 & 23)

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता बीएम सिंह।

निर्णय

एस.एस. निज्जर, जे (मौखिक)

(1) हमने याचिकाकर्ता के वकील को विस्तार से सुना है और पेपर-बुक का अवलोकन किया है।

(2) भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत यह रिट याचिका दिनांक 8 मार्च, 2003 के आक्षेपित निलंबन आदेश (अनुलग्नक पी-3), दिनांक 3 अप्रैल, 2003 के आरोप-पत्र (अनुलग्नक पी-4), दिनांक 20 अगस्त, 2003 के कारण बताओ नोटिस (अनुलग्नक पी-आईओ), प्रतिवादी संख्या 4 (अनुलग्नक पी-12) के दिनांक 5 फरवरी, 2003 के आदेश को रद्द करते हुए सर्टिओरारी की रिट जारी करने के लिए दायर की गई है। वर्ष 2004 के परिपत्र 2004 के बर्खास्तगी आदेश (अनुलग्नक पृ-13) में मंडामस की प्रकृति में एक रिट जारी करने के लिए उत्तरदाताओं को सभी परिणामी लाभों और विशेषाधिकारों के साथ सेवा की निरंतरता के साथ याचिकाकर्ता को बहाल करने का निर्देश दिया गया है।

(3) 8 मार्च, 2003 को हिंदी में कालेज का अध्यापक के रूप में कार्यरत याचिकाकर्ता को उसके विरुद्ध प्राप्त गंभीर शिकायतों के कारण निलंबित कर दिया गया था। यह बताया गया कि आवश्यक आरोप पत्र अलग से जारी किया जाएगा। यह आदेश अध्यक्ष, शासी निकाय, सी.आर.एम. पोस्ट ग्रेजुएट जाट कॉलेज, हिसार (इसके बाद "राष्ट्रपति" के रूप में संदर्भित) द्वारा पारित किया गया था। 3 अप्रैल, 2003 को याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप-पत्र जारी किया गया। उन्हें आरोप पत्र प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर जवाब देना था। याचिकाकर्ता ने 17 अप्रैल, 2003 को आरोप-पत्र का उत्तर प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ता द्वारा दायर उत्तर पर शासी निकाय/प्रबंध समिति ने 21 अप्रैल, 2003 को हुई अपनी बैठक में विचार किया था और गहन विचार-विमर्श और अवलोकन के बाद इसे संतोषजनक नहीं पाया गया था। सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र

डॉ. राम निवास मानव बनाम

सी.आर.एम. पोस्ट ग्रेजुएट जाट कॉलेज हिसार और अन्य (एस.एस. निज्जर)

न्यायाधीश श्री एनके जैन को जांच अधिकारी और श्री इंद्र सिंह लखलान, प्रिंसिपल, सीआरएम स्नातकोत्तर जाट कॉलेज, हिसार को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने दिनांक 14 मई, 2003 के पत्र द्वारा बताया कि शासी निकाय की कार्यवाही और 21 अप्रैल, 2003 को पारित संकल्प उपलब्ध नहीं कराया गया है और इसलिए अनुशासनात्मक जांच आगे नहीं बढ़ सकती है। दिनांक 21 मई, 2003 के अपने पत्र द्वारा राष्ट्रपति ने याचिकाकर्ता को सूचित किया कि उन्हें आरोप-पत्र का उत्तर प्रस्तुत करने से पहले संबंधित रिकॉर्ड का निरीक्षण करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था। जांच में जिन गवाहों और दस्तावेजों पर भरोसा किया जाना है, उनकी सूची याचिकाकर्ता को पहले ही उपलब्ध करा दी गई थी। इसलिए, यह कहा गया था कि जांच में दिनांक 21 अप्रैल, 2003 का संकल्प न तो प्रासंगिक है और न ही सामानग्र। यह बताया गया कि याचिकाकर्ता केवल अनावश्यक बाधाएं पैदा करके जांच कार्यवाही को लंबा खींचने की कोशिश कर रहा है। याचिकाकर्ता ने सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की जांच अधिकारी के रूप में नियुक्ति पर भी आपत्ति जताई थी। इस याचिका को इस आधार पर भी खारिज कर दिया गया था कि एक बाहरी व्यक्ति और एक सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश को नियुक्त किया गया है ताकि निष्पक्ष जांच की जा सके। याचिकाकर्ता को जांच की कार्यवाही में सहयोग करने के लिए कहा गया था। जांच अधिकारी ने 8 अगस्त, 2003 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। अंत में, यह माना गया कि सभी तीन आरोप साबित नहीं हुए हैं। अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने 20 अगस्त, 2003 को जांच अधिकारी के निष्कर्षों से असहमति व्यक्त की और याचिकाकर्ता को बर्खास्तगी की सजा का प्रस्ताव करते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता को यह भी सूचित किया गया था कि चूंकि कॉलेज चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय * सिरसा से संबद्ध है और हरियाणा संबद्ध कॉलेज (सेवाओं की सुरक्षा) अधिनियम, 1979 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) और हरियाणा संबद्ध कॉलेज (सेवाओं की सुरक्षा) नियम, 1980 (इसके बाद "नियम" के रूप में संदर्भित) द्वारा शासित है, इसलिए कारण बताओ नोटिस के खिलाफ आवश्यक अभ्यावेदन/ उच्च शिक्षा, हरियाणा, चंडीगढ़ (प्रतिवादी संख्या 4), नोटिस प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर। याचिकाकर्ता ने 15 सितंबर, 2003 को प्रतिवादी संख्या 4 को कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया।

(4) पूरे मामले पर विचार करने के बाद, प्रतिवादी संख्या 4 ने विचार व्यक्त किया है कि याचिकाकर्ता, जो एक शिक्षक है, के खिलाफ स्थापित कदाचार निंदनीय है और यदि इसमें शामिल व्यक्ति एक उच्च योग्य व्याख्याता है, तो यह और अधिक घृणित है। इसलिए, प्रतिवादी संख्या 4 ने 6 जनवरी, 2004 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त करने की प्रस्तावित सजा को मंजूरी दे दी है। आयुक्त द्वारा दी गई मंजूरी के आधार पर, प्रतिवादी संख्या 2 ने याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के निलंबन से लेकर बर्खास्तगी के अंतिम आदेश पारित होने तक उत्तरदाताओं की पूरी कार्रवाई इस आधार पर रद्द हो गई है कि याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था। जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष से असहमत होने से पहले शासी निकाय। इस दलील के समर्थन में, विद्वान वकील ने **पंजाब नेशनल बैंक और अन्य बनाम कुंज बिहारी मिश्रा**[1] के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मजबूत भरोसा जताया।

6. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा दी गई दलीलों पर विचार किया है। याचिकाकर्ता के खिलाफ गंभीर आरोप यह है कि 6.3.2003 को लगभग 12 बजे, याचिकाकर्ता ने एक छात्रा को हिंदी विभाग में बुलाया और फिर उसे अकेला पाकर उसके साथ मारपीट की, उसके शरीर को छुआ और उसकी लज्जा भंग करने की कोशिश की। आपराधिक बल का प्रयोग. अगली तारीख यानी 7.3.2003 को लड़की के माता-पिता और रिश्तेदारों ने याचिकाकर्ता से उसके दुर्व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने अभद्र तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार किया और कॉलेज के भीतर उनके साथ मारपीट की। समाज और जनता ने बड़े पैमाने पर उनकी निंदा की है। कॉलेज की प्रतिष्ठा को कम किया गया है और लोगों की नजरों में बदनाम किया गया है। याचिकाकर्ता के विरुद्ध अधिनियम एवं नियमावली की धारा 7 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी। यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी जांच अधिकारी के निष्कर्षों से असहमत हैं। लेकिन चूंकि अनुशासनात्मक कार्यवाही पूर्वोक्त अधिनियम और नियम के तहत विनियमित की गई थी, प्रतिवादी-प्रबंध समिति की प्रस्तावित कार्रवाई केवल तभी की जा सकती थी यदि इसे प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा अनुमोदित किया गया था। जैसा कि पहले देखा गया था, प्रस्तावित कार्रवाई प्रतिवादी द्वारा अनुमोदित की गई थी उनके आदेश दिनांक 6.1.2004 द्वारा क्रमांक 4. उच्च शिक्षा आयुक्त द्वारा आदेश पारित करने से पहले याचिकाकर्ता और कॉलेज को भी सुना गया। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने पंजाब नेशनल बैंक (सुप्रा) के मामले में की गई सुप्रीम कोर्ट की निम्नलिखित टिप्पणियों पर मजबूत भरोसा जताया है: -

"19. उपरोक्त चर्चा का परिणाम यह होगा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को विनियम 7(2) में पढ़ा जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप, जब भी अनुशासनात्मक प्राधिकारी आरोप के किसी लेख पर जांच प्राधिकारी से

[1] एआईआर 1998 सुप्रीम कोर्ट 2713

असहमत होता है, तो पहले यह इस तरह के आरोप पर अपने स्वयं के निष्कर्षों को रिकॉर्ड करता है, इसे इस तरह की असहमति के लिए अपने अस्थायी कारणों को दर्ज करना होगा और अपने निष्कर्षों को रिकॉर्ड करने से पहले दोषी अधिकारी को प्रतिनिधित्व करने का अवसर देना होगा। अपने निष्कर्षों वाले जांच अधिकारी की रिपोर्ट को बताना होगा और अपराधी अधिकारी के पास अनुशासनात्मक प्राधिकारी को जांच अधिकारी के अनुकूल निष्कर्ष को स्वीकार करने के लिए राजी करने का अवसर होगा। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, प्राधिकारी की आवश्यकता होती है, जिसे अंतिम निर्णय लेना होता है और जुर्माना लगाया जा सकता है। कदाचार के आरोपी अधिकारी को अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा अधिकारी के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर अपने निष्कर्ष दर्ज करने से पहले प्रतिनिधित्व दर्ज करने का अवसर देना।"

7. उपरोक्त टिप्पणियाँ, हमारी राय में, याचिकाकर्ता के मामले में कोई सहायता नहीं हैं। जैसा कि पहले देखा गया, अस्थायी रूप से, प्रतिवादी नंबर 2 ने कारण बताओ नोटिस (अनुलग्नक पी 10) में अपनी राय व्यक्त की। याचिकाकर्ता को अपना जवाब सीधे उच्च शिक्षा आयुक्त को भेजने का निर्देश दिया गया। प्रबंधन समिति द्वारा व्यक्त की गई अस्थायी राय केवल प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा अनुमोदित होने पर एक निष्कर्ष बन गई। इसलिए, आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा कोई भी आदेश पारित करने से पहले याचिकाकर्ता को सुना जाना आवश्यक था। माना जाता है कि, जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों से असहमत अंतिम आदेश पारित करने से पहले आयुक्त द्वारा याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नंबर 2 दोनों को सुना गया था। उस स्तर पर, याचिकाकर्ता के पास आयुक्त को जांच अधिकारी के अनुकूल निष्कर्ष को स्वीकार करने के लिए मनाने का अवसर था। आयुक्त के पास कॉलेज की गवर्निंग बॉडी द्वारा दिए गए प्रस्ताव को मंजूरी देने से इनकार करने की शक्ति थी। इसलिए, यह मानना संभव नहीं है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों के विपरीत निष्कर्ष दर्ज करने से पहले याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है। हमारी सुविचारित राय है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में याचिकाकर्ता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

8. याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप इतने गंभीर हैं कि **विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य**[2], के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर, अनुशासनात्मक प्राधिकारी के पास याचिकाकर्ता

[2] एआईआर 1997 सुप्रीम कोर्ट 2011

को सेवा से बर्खास्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हम यहां फैसले के शुरुआती पैराग्राफ में सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों को यहां नीचे पुन: प्रस्तुत करना उचित समझते हैं: -

"यह रिट याचिका मौजूदा माहौल को देखते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत कामकाजी महिलाओं के मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए दायर की गई है, जिसमें इन अधिकारों का उल्लंघन असामान्य नहीं है। बढ़ती जागरूकता के साथ और लैंगिक न्याय पर जोर देने के कारण, ऐसे उल्लंघनों से बचाव के प्रयास बढ़ रहे हैं; और यौन उत्पीड़न की घटनाओं के प्रति आक्रोश भी बढ़ रहा है। वर्तमान याचिका कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं और गैर सरकारी संगठनों द्वारा एक वर्ग कार्रवाई के रूप में इस उद्देश्य से लाई गई है इस सामाजिक विपथन की ओर ध्यान केंद्रित करना, और 'लैंगिक समानता' की वास्तविक अवधारणा को साकार करने के लिए उपयुक्त तरीके खोजने में सहायता करना; और मौजूदा कानून में खालीपन को भरने के लिए न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से सभी कार्यस्थलों पर कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकना।

2. रिट याचिका दायर करने का तात्कालिक कारण राजस्थान के एक गांव में एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ कथित क्रूर सामूहिक बलात्कार की घटना है। वह घटना एक अलग आपराधिक कार्रवाई का विषय है और हमारे लिए इसका कोई और उल्लेख आवश्यक नहीं है। यह घटना उन खतरों को उजागर करती है जिनसे एक कामकाजी महिला को अवगत कराया जा सकता है और यौन उत्पीड़न किस हद तक भ्रष्ट हो सकता है; और विधायी उपायों के अभाव में वैकल्पिक तंत्र द्वारा सुरक्षा उपायों की तात्कालिकता। विधायी उपायों के अभाव में, इस महसूस की गई और तत्काल सामाजिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक प्रभावी वैकल्पिक तंत्र खोजने की आवश्यकता है।

3. प्रत्येक घटना के परिणामस्वरूप 'लैंगिक समानता' और 'जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार' के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है। ऐसी घटना के तार्किक परिणामों में से एक अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत पीड़ित के ' किसी भी पेशे को अपनाने या कोई व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय करने' के मौलिक अधिकार का उल्लंघन भी है। इसलिए, इस तरह के उल्लंघन महिलाओं के इन मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत उपचार को आकर्षित करते हैं । संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत यह वर्ग कार्रवाई इसी कारण से है। ऐसी स्थिति में परमादेश रिट, यदि इसे प्रभावी होना है, तो रोकथाम

के लिए निर्देशों के साथ होना आवश्यक है; क्योंकि इस प्रकार का मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बार-बार होने वाली घटना है। किसी भी व्यवसाय, व्यापार या पेशे को जारी रखने का मौलिक अधिकार "सुरक्षित" कामकाजी माहौल की उपलब्धता पर निर्भर करता है। जीवन के अधिकार का अर्थ है गरिमा के साथ जीवन। उपयुक्त कानून के माध्यम से ऐसी सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी, और निर्माण इसके प्रवर्तन के लिए एक तंत्र विधायिका और कार्यपालिका का है। हालाँकि, जब यौन उत्पीड़न के मामले सामने आते हैं, जिसके परिणामस्वरूप महिला श्रमिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। अनुच्छेद 14, 19 और 21 को अनुच्छेद 32 के तहत निवारण के लिए हमारे सामने लाया जाता है, एक प्रभावी निवारण के लिए आवश्यक है कि विधायी रिक्तता को भरने के लिए इन अधिकारों के प्रक्षेपण के लिए कुछ दिशानिर्देश निर्धारित किए जाएं।"

9. इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए कार्यस्थलों पर नियोक्ताओं के साथ-साथ अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों या संस्थानों द्वारा पालन किए जाने वाले दिशानिर्देश निर्धारित किए। इसके तहत निर्धारित दिशानिर्देश यह प्रदान करते हैं कि कार्यस्थलों और अन्य संस्थानों में नियोक्ता या अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों का यह कर्तव्य है कि वे यौन उत्पीड़न के कृत्यों को रोकें या रोकें और कृत्यों के समाधान, निपटान या अभियोजन के लिए प्रक्रियाएं प्रदान करें। सभी आवश्यक कदम उठाकर यौन उत्पीड़न। "यौन उत्पीड़न" को इस तरह के अवांछित यौन निर्धारित व्यवहार को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है (चाहे प्रत्यक्ष रूप से या निहितार्थ के रूप में:

क) शारीरिक संपर्क और प्रगति;

बी) यौन संबंधों की मांग या अनुरोध;

ग) यौन रूप से रंगीन टिप्पणियाँ;

घ) अश्लील साहित्य दिखाना;

ई) यौन प्रकृति का कोई अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण;

10. सुप्रीम कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि यदि उपरोक्त में से कोई भी कृत्य किया जाता है, और यह भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य कानून के तहत दंडनीय विशिष्ट अपराध है , तो नियोक्ता शिकायत करके कानून के अनुसार उचित

कार्रवाई शुरू करेगा। उपयुक्त प्राधिकारी के साथ. आगे निर्देश दिया गया है कि विशेष रूप से, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के दौरान पीड़ितों या गवाहों को पीड़ित या भेदभाव न किया जाए। जहां ऐसा आचरण प्रासंगिक सेवा नियमों द्वारा परिभाषित रोजगार में कदाचार की श्रेणी में आता है, नियोक्ता द्वारा नियमों के अनुसार उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। हमारी राय में, उपरोक्त दिशानिर्देश, जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के आधार पर कानून का बल प्राप्त है , शैक्षणिक संस्थानों पर भी पूरी तरह से लागू होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि दिशानिर्देश कार्यस्थलों के साथ-साथ अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों या संस्थानों के लिए भी निर्धारित किए जा रहे हैं। "शैक्षणिक संस्थान" "अन्य जिम्मेदार संस्थान" शब्द के अंतर्गत आएंगे।

11. उपरोक्त टिप्पणियों से कोई संदेह नहीं रह जाता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत गारंटीकृत छात्राओं के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों से निपटने के दौरान अदालतों को एक विशेष, सुरक्षात्मक और अभिभावकीय रवैया अपनाना होगा। शिक्षण संस्थानों में छात्राओं को उतनी ही सुरक्षा की जरूरत है जितनी कामकाजी महिलाओं को कार्यस्थल पर। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऊपर दी गई टिप्पणियाँ, हमारी राय में, उन मामलों पर भी पूरी तरह से लागू होंगी जहां कोई भी छात्र किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्ति पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाता है जो एक प्रमुख स्थिति में हो सकता है और एक विद्यार्थी लड़की के शैक्षिक करियर पर प्रतिकूल प्रभाव डालने में सक्षम हो सकता है।

12. इसके अलावा, वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता द्वारा बचाव का पूरा आशय यह है कि पेशेवर प्रतिद्वंद्विता के कारण उसके खिलाफ साजिश रची गई है। जब उन्होंने आरोप-पत्र का उत्तर प्रस्तुत किया तो उन्होंने प्रारंभिक चरण में ही उक्त बचाव को उठाया। आरोप पत्र के जवाब (अनुलग्नक पी5-टी) में उन्होंने इस प्रकार कहा:-

"...हालांकि, मेरी उपलब्धियों, रचनात्मक उपलब्धियों और स्पष्टवादिता के कारण, शिक्षण स्टाफ का एक वर्ग, स्थानीय ख्याति के कुछ लेखक और पत्रकार मुझसे ईर्ष्या करने लगे हैं और लगातार मेरे खिलाफ कुछ न कुछ युक्तियाँ निकालते रहते हैं। इसलिए, कभी-कभी विवाद खड़े हो जाते हैं किसी रचनात्मक लेखन, या व्याख्याता, या मेरे बच्चों के परीक्षा परिणाम, या मेरी डिग्री के संबंध में। यही कारण है कि जहां मुझे भारत और विदेशों में सम्मान दिया जाता है, वहीं मेरे अपने संस्थान और शहर में मुझे मानसिक यातना दी जाती है और मेरा मजाक

उड़ाया जाता है। . मुझे हमेशा यह डर रहता है कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैंने कॉलेज के प्रिंसिपल और टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष को दिनांक 26.9.2000 को एक पत्र लिखा था (अनुलग्नक 2 और 3 देखें)। वर्तमान कथित घटना के पीछे यही षडयंत्रकारी हैं।""

13. जांच अधिकारी द्वारा पीड़ित छात्रा की गवाही को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है जो इस प्रकार है:-

"विभाग ने सभी 7 गवाहों की जांच की है। किमी. नीटू पीडब्लू-1 शिकायतकर्ता है: उसने बताया कि 6.3.2003 को लगभग 12.30 बजे डॉ. मानव ने उसे एक गाइड बुक सौंपने के लिए हिंदी विभाग में अपने कमरे में बुलाया। जब वह उसके साथ अकेली थी, उसने उससे कहा कि वह देर से आई है और उसे इसके लिए जुर्माना देना होगा। इसके बाद, उसने उसके गाल को छुआ और फिर उससे हाथ मिलाया। फिर उसने उसे चूमने की कोशिश की लेकिन उसे पीछे धकेल दिया गया। उसने इसका विरोध किया। डॉ. मानव का आचरण और उन्हें बताया कि वह बिल्कुल उनकी बेटी की तरह थी, लेकिन मानव ने उन्हें बताया कि यह कॉलेज में एक सामान्य घटना थी और वह इसके बारे में किसी से बात नहीं कर सकती थी। इसके बाद, उन्होंने उसके बाएं गाल पर चुंबन किया। नीतू ने उसे धक्का दिया, गाइड बुक ली और अपने घर चली गई। उसने घटना अपनी मां और एक दोस्त मनीषा को बताई। अगले दिन, केएम.नीतू अपने माता-पिता और मनीषा के साथ विरोध करने के लिए कॉलेज गई डॉ. मानव के आचरण और एक लिखित शिकायत Ex.P-1 प्रस्तुत की।"

14. जांच अधिकारी ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ कथन की अवहेलना की: -

"....जाहिर है, अगर उसके बयान को सही माना जाए तो घटना के समय कोई अन्य गवाह मौजूद नहीं था। हालाँकि, डॉ. मानव के दुर्व्यवहार का अपरिहार्य परिणाम यह होगा कि वह चिल्लाने की कोशिश करेगी, या मदद के लिए कॉल करें या कम से कम घटना के तुरंत बाद प्रिंसिपल को मामले की सूचना दें अन्यथा वह रोएगी और कॉलेज में मौजूद अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित करेगी। उसने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरी राय में यह एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है उसके बयान की सत्यता के बारे में। यह एक युवा लड़की की ओर से अस्वाभाविक है जो बीए फाइनल की छात्रा थी और उसके पास डॉ. मानव के आचरण के खिलाफ जोरदार विरोध करने का हर मौका था जो उसने नहीं किया।

उसका चुप रहना और मेरी राय में एक युवा लड़की का घर के लिए निकलना पूरी तरह से अप्राकृतिक है, जिस से अपमानजनक विनय किया गया है।"

15. यह ठीक उसी प्रकार का रवैया है जिसे यौन अपराधों के संबंध में मामलों की सुनवाई करते समय न्यायाधीशों द्वारा नहीं अपनाया जाना चाहिए। न्यायाधीशों के इस तरह के रवैये की सुप्रीम कोर्ट ने **पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह और अन्य**, [3]के मामले में निंदा की थी। उपरोक्त फैसले के शुरुआती पैराग्राफ में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा निम्नलिखित नुसार:-

"इस प्रकार, इस अपील में दिया गया फैसला एक परेशान करने वाली और परेशान करने वाली विशेषता प्रस्तुत करता है। यह बलात्कार के मामले में 16 वर्ष से कम उम्र की अभियोजक पर अनुचित कलंक लगाकर न्यायालय की ओर से संवेदनशीलता की कमी को दर्शाता है। मानव मनोविज्ञान और व्यवहार संबंधी संभावनाओं की अनदेखी। अभियोक्ता के साक्ष्य की प्रशंसात्मक क्षमता की सराहना करते समय आंतरिक रूप से गलत दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हुई है।"

16. सुप्रीम कोर्ट ने यौन अपराधों से संबंधित कानून पर विस्तार से विचार किया. उपरोक्त मामले में निर्धारित कानून के मुख्य प्रस्तावों को निम्नानुसार संक्षेपित किया जा सकता है: -

1. प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में देरी, अगर ठीक से बताई जाए तो यौन अपराधों में कोई मायने नहीं रखनी चाहिए।

2. यौन अपराधों के मामलों में पीड़िता की गवाही महत्वपूर्ण है और जब तक ऐसी बाध्यकारी परिस्थितियां न हों कि उसके बयान की पुष्टि की तलाश करना आवश्यक हो, अदालत को दोषी ठहराने के लिए अकेले यौन उत्पीड़न की पीड़िता की गवाही पर कार्रवाई करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

3. ऐसे मामलों में, एक नियम के रूप में, उसके बयान पर भरोसा करने से पहले उसकी पुष्टि की मांग करना, जले पर नमक छिड़कने के समान है।

4. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य की सराहना करते हुए न्यायालय अपनी न्यायिक अंतरात्मा को संतुष्ट करने के लिए उसके बयान के कुछ आश्वासन की तलाश कर सकता है, क्योंकि वह एक गवाह है जो उसके द्वारा लगाए गए आरोप के परिणाम

[3] एआईआर 1996 सुप्रीम कोर्ट 1393

में रुचि रखती है, लेकिन कानून की कोई आवश्यकता नहीं है किसी आरोपी को दोषी ठहराने के लिए उसके बयान की पुष्टि पर जोर देना।

5. यौन उत्पीड़न की शिकार महिला का साक्ष्य लगभग घायल गवाह के साक्ष्य के बराबर होता है।

6 यौन अपराध की शिकार महिला के साक्ष्य को बहुत महत्व दिया जाता है, फिर भी पुष्टि का अभाव होता है।

7. बलात्कार के हर मामले में पुष्टिकारक साक्ष्य न्यायिक साख का अनिवार्य घटक नहीं है।

8. ऐसे मामलों में भी, जहां यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ स्वीकार्य सामग्री है कि पीड़िता को संभोग की आदत थी, केवल उन परिस्थितियों से यह निष्कर्ष निकालने की अनुमति नहीं है कि पीड़िता "नैतिक चरित्र खो चुकी" लड़की थी।

9. भले ही किसी दिए गए मामले में अभियोक्ता, पहले अपने यौन व्यवहार में स्वच्छंद रही हो, उसे किसी भी और हर किसी के साथ यौन संबंध बनाने से इनकार करने का अधिकार है क्योंकि वह यौन उत्पीड़न के लिए एक कमजोर वस्तु या शिकार नहीं है। किसी और हर किसी के द्वारा. अदालतों द्वारा ऐसे गवाह के खिलाफ कोई कलंक नहीं लगाया जाना चाहिए, क्योंकि आखिरकार यह आरोपी है, न कि यौन अपराध की पीड़िता जिस पर अदालत में मुकदमा चल रहा है।"

17. उपरोक्त निर्णय के पैराग्राफ 20 में, सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार कहा: -

"हाल ही में, सामान्य तौर पर महिलाओं के खिलाफ अपराध और विशेष रूप से बलात्कार बढ़ रहे हैं। यह एक विडंबना है कि जब हम सभी क्षेत्रों में महिलाओं के अधिकारों का जश्न मना रहे हैं, हम उनके सम्मान के लिए बहुत कम या कोई चिंता नहीं दिखाते हैं। यह दृष्टिकोण पर दुखद प्रतिबिंब है यौन अपराधों के पीड़ितों की मानवीय गरिमा के उल्लंघन के प्रति समाज की उदासीनता। हमें याद रखना चाहिए कि एक बलात्कारी न केवल पीड़िता की गोपनीयता और व्यक्तिगत अखंडता का उल्लंघन करता है, बल्कि अनिवार्य रूप से इस प्रक्रिया में गंभीर मनोवैज्ञानिक और शारीरिक नुकसान पहुंचाता है। बलात्कार है केवल शारीरिक हमला नहीं - यह अक्सर पीड़ित के पूरे व्यक्तित्व को नष्ट कर देता है। एक हत्यारा अपने पीड़ित के भौतिक शरीर को नष्ट कर देता है, एक बलात्कारी असहाय महिला की आत्मा को अपमानित करता है। इसलिए, अदालतें कोशिश करते

समय एक बड़ी जिम्मेदारी निभाती हैं बलात्कार के आरोप में एक अभियुक्त। उन्हें ऐसे मामलों को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ निपटाना चाहिए। अदालतों को किसी मामले की व्यापक संभावनाओं की जांच करनी चाहिए और अभियोजक के बयान में छोटे विरोधाभासों या महत्वहीन विसंगतियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, जो घातक नहीं हैं प्रकृति, एक अन्यथा विश्वसनीय अभियोजन मामले को खारिज करने के लिए। यदि अभियोक्त्री का साक्ष्य विश्वास को प्रेरित करता है, तो भौतिक विवरण में उसके बयान की पुष्टि की तलाश किए बिना उस पर भरोसा किया जाना चाहिए:

18. **महाराष्ट्र राज्य बनाम चंद्रप्रकाश केवलचंद जैन**[4], के मामले में , सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार कहा:

"16. किसी यौन-अपराध की अभियोजक को किसी सह-अपराधी के बराबर नहीं रखा जा सकता। वह वास्तव में अपराध की शिकार है.....

17. हम हाल के दिनों में यौन-उल्लंघन के मामलों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से हिरासत में छेड़छाड़ और बलात्कार के मामलों को ध्यान में रखते हुए, इस धारणा को हटाना उचित समझते हैं, यदि यह बनी रहती है, कि एक महिला की गवाही जो दुर्लभतम मामलों को छोड़कर, यौन हिंसा का शिकार होने की पुष्टि आम तौर पर भौतिक विवरणों से की जानी चाहिए। दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों को छोड़कर पुष्टिकरण पर जोर देना उस महिला को, जो दूसरे की वासना का शिकार है, अपराध में सहयोगी के बराबर मानना है और इस तरह नारीत्व का अपमान करना है। किसी महिला को यह बताना कि उसकी दुख भरी कहानी पर तब तक विश्वास नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे भौतिक विवरणों से पुष्ट नहीं किया जाता, जैसा कि किसी अपराध में भागीदार के मामले में होता है, चोट पर नमक छिड़कने जैसा होगा।"

19. फिर से **भरवाड़ा भोगिनभाई हिरजिनभाई बनाम गुजरात राज्य**[5], के मामले में , सुप्रीम कोर्ट ने निम्नानुसार टिप्पणी की: -

"9. भारतीय परिवेश में पुष्टि के अभाव में यौन उत्पीड़न की शिकार महिला की गवाही पर कार्रवाई करने से इनकार करना एक नियम के रूप में, चोट पर नमक छिड़कने जैसा है। बलात्कार या यौन उत्पीड़न की शिकायत करने वाली लड़की या महिला का साक्ष्य क्यों होना चाहिए? छेड़छाड़ को संदेह, अविश्वास या संदेह

[4] एआईआर 1990 एससी 658
[5] एआईआर 1983 सुप्रीम कोर्ट 753

से भरे लेंस वाले चश्मे की सहायता से देखा जाना चाहिए? ऐसा करना पुरुष प्रधान समाज में पुरुष प्रधानता के आरोप को उचित ठहराना है..."

10. ... बहुत व्यापक बयान देने या मामले को तूल देने के डर के बिना, यह कहा जा सकता है कि भारत में शायद ही कोई लड़की या महिला ऐसे किसी भी कारक के कारण यौन उत्पीड़न के झूठे आरोप लगाएगी जैसा कि अभी सूचीबद्ध किया गया है।"

20. **विश्वेश्वरन बनाम राज्य प्रतिनिधि एसडीएम**[6] के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे फिर से, द्वारा इस प्रकार दोहराया गया:-

"12. इससे पहले कि हम अपीलकर्ता के खिलाफ मामले को साबित करने और उचित संदेह से परे उसकी पहचान स्थापित करने वाली परिस्थितियों पर ध्यान दें, यह ध्यान में रखना होगा कि ऐसे मामलों में न्यायालयों द्वारा अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण अलग-अलग होने चाहिए। मामलों की आवश्यकता है अत्यधिक संवेदनशीलता के साथ निपटा जाना चाहिए। बलात्कार के आरोप में किसी आरोपी पर मुकदमा चलाते समय अदालतों को अधिक जिम्मेदारी दिखानी होगी। ऐसे मामलों में, व्यापक संभावनाओं की जांच की जानी चाहिए और अदालतों को छोटे-मोटे विरोधाभासों या महत्वहीन विसंगतियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। पर्याप्त चरित्र का नहीं..."

21. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में देखने पर, हमारी राय है कि प्रबंधन समिति निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंची है: -

"....उसका कृत्य लड़की की शालीनता को झकझोरने वाला था। लड़की का बयान अपने आप में बिना किसी पुष्टि के आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त है, हालांकि वर्तमान मामले में अन्य गवाहों द्वारा भी आरोपों की विधिवत पुष्टि की गई है।यह विश्वास नहीं किया जा सकता कि व्याख्याताओं की कमी के कारण और अंतिम परीक्षाओं में बैठने से वंचित होने के कारण, कोई छात्रा कभी भी वर्तमान परीक्षा की तरह गलत अनुपालन करने का जोखिम उठाएगी। यह बिल्कुल भी संभव और विश्वसनीय नहीं है कि एक युवा अविवाहित कॉलेज लड़की कभी भी गवाह के सामने पेश होगी और शपथ लेकर झूठा बयान देगी कि उसके शील का अपमान उस तरीके से किया गया जैसा कि किमी ने कहा था। नीतू यह अच्छी तरह से जानती थी कि इस तरह का आरोप उसके भावी जीवन के करियर के

[6] एआईआर 2003 एससीडब्ल्यू 2541

लिए बहुत हानिकारक होगा। कुमारी नीतू का बयान बहुत विश्वसनीय और आश्वस्त करनेवाला है और उस पर भरोसा किया जा सकता है।"

22. प्रबंधन समिति ने यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया कि जांच कानूनी रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा की जाए। हालाँकि, जाँच अधिकारी कार्यवाही की संवेदनशील प्रकृति को ध्यान में रखने में विफल रहे। उन्होंने अपने निष्कर्षों को अपने दृष्टिकोण पर आधारित किया है कि यौन उत्पीड़न के शिकार व्यक्ति को कैसा व्यवहार करना चाहिए। वह उन मार्गदर्शक सिद्धांतों से पूरी तरह अनभिज्ञ थे जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों की श्रृंखला में निर्धारित किए गए हैं, जिनमें से कुछ पर ऊपर ध्यान दिया गया है। जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को अनुमानों और धारणाओं पर आधारित सही माना गया है। प्रतिवादी संख्या 4 ने प्रबंधन समिति, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दर्ज की गई अस्थायी राय को सही ढंग से स्वीकार किया है।

23. खुद को संतुष्ट करने के लिए, कि न्याय में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, हमने जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों, प्रबंधन समिति द्वारा दर्ज किए गए अस्थायी निष्कर्षों और आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा दर्ज किए गए अंतिम निष्कर्षों की जांच की है। हम इस बात से संतुष्ट हैं कि याचिकाकर्ता के खिलाफ उत्तरदाताओं द्वारा की गई कार्रवाई को मनमाना या प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है।

24. उपरोक्त के मद्देनजर, हमें रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं मिली और इसे खारिज किया जाता है ।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रजत अरोड़ा
प्रशिक्ष न्यायिक अधिकारी
चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी